CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

▫ वर्ष- 28 ▫ अंक- 358 ▫ रायपुर, गुरुवार 22 जनवरी 2026 ▫ पृष्ठ-8 ▫ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

भाटापारा स्टील प्लांट में ब्लास्ट, 7 मजदूरों की मौत, 5 की हालत गंभीर

भाटापारा-बलौदाबाजार, 22 जनवरी (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में इस्पात संयंत्र में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जहां क्लिनिकल फर्नेस के दौरान जोरदार ब्लास्ट में जहां 7 मजदूरों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, बकुलाही स्थित रियल इस्पात प्लांट में हादसा हुआ है। प्लांट के डीएससी कोयला भट्टे में अचानक विस्फोट से 7 से अधिक मजदूरों की जान चली गई। वहीं 5 मजदूर गंभीर बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट के दौरान मजदूर भट्टे के आसपास सफाई का काम कर रहे थे, उसी दौरान वह गर्म कोयले से झुलस गए। विस्फोट में कुछ अन्य मजदूर घायल भी हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। आग की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ी भी पहुंच गई और आग बुझाने का काम जारी है। ब्लास्ट इतना तेज था कि आसमान में कई मीटर ऊपर तक काले धुएं का गुबार उठ गया और बिल्डिंग की दीवार भी काली हो गई थी। परिसर में आसपास राख और जला हुआ कोयला बिखरा पड़ा था।

घटना की सूचना मिलते ही बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी सहित भाटापारा ग्रामीण पुलिस के साथ ही बलौदाबाजार से पुलिस बल तत्काल मौके पहुंच गए हैं. जानकारी के मुताबिक, घायलों को पहले भाटापारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बिलासपुर रेफर किया गया है। इस घटना पर मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। मजदूरों की मौत कैसे हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है, सुरक्षा के उपकारण थे या नहीं थे, सभी विषयों की जांच होनी चाहिए। हादसे में घायलों में मोटाज अंसारी, 26 बढ़ई सेंटर- एमएस, सराफत अंसारी, 32 बढ़ई- एमएस, साबिर अंसारी, 37 बढ़ई-एमएस, कल्पू भुइया, 51 हेल्पर, रामू भुइया, 34 हेल्पर शामिल हैं।

स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने घायलों के बेहतर इलाज के दिए निर्देश

इस्पात संयंत्र में हुए हादसे पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने गहरा शोक व्यक्त किया है। क्लिनिकल फर्नेस के दौरान हुए विस्फोट में श्रमिकों के असामयिक निधन को अत्यंत दु:खद बताते हुए उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति और शोकाकुल परिवारजनों को इस अपार दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हादसे में गंभीर रूप से घायल श्रमिकों को बेहतर उपचार के लिए सिम्स, बिलासपुर में भर्ती कराया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि घायलों को हर संभव उत्तम एवं त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि उनके उपचार में किसी प्रकार की कमी न रहे। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और हर आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

पुलिस कर रही पूछताछ

इस हादसे में निपनिया चौकी और भाटापारा ग्रामीण पुलिस जांच में जुटी हुई है। विस्फोट की वजह क्या रही है, अभी इस बारे में पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने घटनास्थल को घेराबंदी कर सुरक्षित कर लिया है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सुरक्षा मानकों में लापरवाही की आशंका जताई जा रही है।

प्लांट प्रबंधन नहीं दे रहा कोई जानकारी

हादसे के बाद सबसे गंभीर बात यह सामने आ रही है कि प्लांट प्रबंधन की ओर से अब तक किसी भी प्रकार की आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की जा रही है, न तो मृतकों की सही संख्या की पुष्टि की गई है और न ही हादसे के कारणों को लेकर कोई बयान दिया गया है।

दो ट्रकों की भिड़ंत में 3 की मौत

कांकेर, 22 जनवरी (हाईवे चैनल)। नेशनल हाईवे-30 पर गुरुवार तड़के करीब 3 बजे भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार दो ट्रकों की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना कांकेर जिले के चारामा थाना क्षेत्र के ग्राम रतेसरा के पास हुआ।

नेशनल हाईवे-30 पर भीषण हादसा

टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद नेशनल हाईवे-30 पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। घटना की सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम और चारामा पुलिस मौके पर पहुंची है। जेसीबी एवं अन्य मशीनों की मदद से क्षतिग्रस्त ट्रकों को सड़क से हटाने का काम किया जा रहा है, ताकि यातायात को जल्द बहाल किया जा सके। गौरतलब है कि इसी स्थान पर दो दिन पहले भी एक युवक की कार की चपेट में आने से मौत हो चुकी थी। लगातार हो रही दुर्घटनाओं ने इस क्षेत्र की सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मृतकों की पहचान की जा रही है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

ब्रेकिंग न्यूज

मुंबई को मिलेगी सामान्य श्रेणी की महिला मेयर, लॉटरी प्रक्रिया से चयन

नई दिल्ली, 22 जनवरी (न्यूज चैनल)। महाराष्ट्र की सभी 29 नगर पालिकाओं के मेयर पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 22 जनवरी 2026 को पूरी कर ली गई। इस लॉटरी प्रक्रिया में मुंबई का मेयर पद %सामान्य श्रेणी - महिला के लिए आरक्षित किया गया है। लॉटरी से यह तय होता है कि मेयर का पद किस कैटेगरी के लिए आरक्षित होगा, जैसे जनरल, महिला, स्ट्ट, स्ज्ञ और ह्व्क्ष्ट कैटेगरी। कैटेगरी की घोषणा होने के बाद, योग्य उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं। बृहन्मुंबई नगर निगम और राज्य के 28 अन्य नगर निकायों के चुनाव 15 जनवरी को हुए थे।

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने आरक्षण लॉटरी का बहिष्कार किया, और सिलेक्शन पैटर्न में गड़बड़ी का आरोप लगाया। गुट ने सवाल उठाया कि मेयर का पद एक बार फिर जनरल कैटेगरी को क्यों दिया गया, जबकि रोटेशन के हिसाब से यह सीट ओबीसी या किसी अन्य आरक्षित कैटेगरी को मिलनी चाहिए थी। शिवसेना (यूटीबी) नेता और मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने दावा किया कि यह फैसला लेने के लिए नियम बिना किसी को बताए बदल दिए गए। पेडनेकर ने कहा, हम इस तरह से (लॉटरी की) प्रक्रिया चलाने की निंदा करते हैं। शिवसेना (यूटीबी) ने इस बात पर भी निराशा जताई कि स्ज्ञ कैटेगरी को मेयर का पद नहीं मिला, जिसकी उन्हें इस साल उम्मीद थी। मौजूदा नियमों के अनुसार, जिस नगर निगम में स्ज्ञ कैटेगरी के लिए तीन या उससे कम सीटें आरक्षित हैं, वह उसी कैटेगरी को मेयर का पद नहीं दे सकता। इस बार, मुंबई में 227 सीटों में से केवल दो स्ज्ञ-आरक्षित सीटें थीं, जिससे संवैधानिक रूप से स्ज्ञ मेयर बनना असंभव था। फाइनल लॉटरी ने अब आधिकारिक तौर पर कन्फर्म कर दिया है कि मुंबई में जनरल कैटेगरी की एक महिला मेयर होंगी। महाराष्ट्र में 15 जनवरी को 29 नगर निगमों में चुनाव हुए, और वोटों की गिनती 16 जनवरी को हुई। महायुति ने मुंबई सहित ज़्यादातर नगर निकायों में जीत हासिल की, ठाकरे भाइयों को हराया; पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में एनसीपी गुटों को हराया, भले ही वे चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आए थे; ठाणे, कल्याण-डोंबिवली और उल्हासनगर में भी जीत हासिल की।

कमिश्नर प्रणाली के लिए सरकार ने जारी की अधिसूचना, कल से होगी लागू

रायपुर, 22 जनवरी (हाईवे चैनल)। राजधानी रायपुर में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. राज्य सरकार ने रायपुर शहर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया गया है. यह नई व्यवस्था 23 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी. बढ़ती आबादी, अपराध के मामलों, ट्रैफिक दबाव और तेजी से हो रहे शहरी विस्तार को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है.

रायपुर नगर क्षेत्र बनेगा पुलिस कमिश्नरेट- अब रायपुर नगर निगम क्षेत्र आधिकारिक तौर पर पुलिस कमिश्नरेट होगा. करीब 19 लाख की शहरी आबादी वाले इस क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को अधिक अधिकार और स्वतंत्रता दी गई है. सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से अपराध नियंत्रण और त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी.

21 थाना क्षेत्र सीधे पुलिस आयुक्त के अधीन- रायपुर शहर के कुल 21 शहरी थाना क्षेत्र अब कमिश्नरेट प्रणाली में शामिल किए गए हैं. इनमें सिविल लाइन, कोतवाली, देवेंद्र नगर, तेलीबांधा, गंज, गोल बाजार, मोवा, टिकरापारा, पंडरी, खम्हारडीह, गुढ़ियारी समेत अन्य सभी शहरी थाने शामिल हैं. इन सभी क्षेत्रों की कानून-व्यवस्था अब सीधे पुलिस आयुक्त के नियंत्रण में रहेगी.

पुलिस आयुक्त को मिले मजिस्ट्रेटी अधिकार- नई प्रणाली के तहत पुलिस आयुक्त को मजिस्ट्रेटी शक्तियां भी दी गई हैं. अब वे धारा 144 लागू करने, जुलूस और धरना-प्रदर्शन की अनुमति देने या रोक लगाने, हथियार लाइसेंस जारी या निरस्त करने और आपात स्थितियों में त्वरित निर्णय लेने के अधिकार से लैस होंगे.

कई कानूनों के तहत सौंपी गई शक्तियां- पुलिस आयुक्त को छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, मोटर वाहन अधिनियम और सार्वजनिक सुरक्षा एवं भीड़ नियंत्रण कानूनों के तहत अधिकार दिए गए हैं. इससे पुलिस को जमीनी स्तर पर तेजी से कार्रवाई करने में सहूलियत मिलेगी.

रायपुर ग्रामीण जिला रहेगा कमिश्नरेट से बाहर- सरकार ने स्पष्ट किया है कि रायपुर ग्रामीण पुलिस जिला इस कमिश्नरेट व्यवस्था के दायरे में नहीं आएगा. बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद और अन्य ग्रामीण थाना क्षेत्रों में पहले की तरह पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी.

नदी में पलटी नाव, ग्रामीणों ने बचाई दो की जान, 4 लापता

बीजापुर, 22 जनवरी (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बड़ा हादसा हो गया है। भैरमगढ़ ब्लॉक के ग्राम उसपरी के पास इंद्रावती नदी पार करते समय एक नाव पलट गई, जिससे नाव में सवार 6 ग्रामीणों में से 4 लोग नदी के तेज बहाव में बह गए। हादसे में 2 लोगों को ग्रामीणों ने किसी तरह बचा लिया, जबकि 4 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों में 2 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक, भैरमगढ़ ब्लॉक के अंतिम छोर पर बसे ग्रामीण आज भी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बाजार आने-जाने इंद्रावती नदी पार करने के लिए नाव पर निर्भर हैं। बुधवार को सभी ग्रामीण बाजार से खरीदारी कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान नदी के बीच पहुंचते ही नाव अचानक असंतुलित होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।ग्रामीणों की तत्परता से दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन चार लोग नदी के तेज बहाव में बह गए। घटना शाम के समय की होने के कारण तत्काल रेस्क्यू में दिक्कतें आईं।

भैरमगढ़ एसडीएम प्रकाश सर्वे ने लल्लूराम डॉट कॉम से बातचीत में बताया कि ग्रामीणों के माध्यम से नाव पलटने और लोगों के लापता होने की सूचना मिली। इसके तुरंत बाद रेस्क्यू टीम को मौके पर रवाना किया गया। आसपास के ग्रामीणों की भी मदद ली जा रही है। अंधेरा होने के कारण देर रात तक सीमित सफलता मिली है, जबकि गुरुवार सुबह से दोबारा सर्च ऑपरेशन तेज किया जाएगा। इंद्रावती नदी में नाव पलटने की घटनाएं कोई नई नहीं है। इससे पहले अगस्त 2025 में बेलनार से भैरमगढ़ जाते समय नाव पलटने से एक साल के मासूम और 4 महिलाओं सहित लोग बह गए थे। 2022 में नाव पलटने से मेडिकल टीम के एक फार्मासिस्ट की डूबने से मौत हुई थी। 2018 में नाव पलटने से 10 लोग बह गए थे, जिनमें एक महिला और एक बच्चा लापता हुए थे। स्थानीय लोगों के अनुसार, नावों में क्षमता से अधिक सवारी, नदी का तेज बहाव और वैकल्पिक परिवहन साधनों की कमी, हादसों के मुख्य कारण हैं। कई गांवों के लिए नाव ही नदी पार करने का एकमात्र साधन है, जिससे जोखिम लगातार बना रहता है। लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद अब तक स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। इंद्रावती नदी में हो रहे घटनाएं प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के लिए एक गंभीर चुनौती बनते जा रही है।

तीन आईएएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां

किरण कौशल को सौंपा गया पाठ्य पुस्तक निगम के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार

रायपुर, 22 जनवरी (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ शासन ने आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार ने आयुक्त स्तर पर अहम बदलाव किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी किरण कौशल (भा.प्र.से. 2009) को आगामी आदेश तक आयुक्त, समग्र शिक्षा के पद पर पदस्थ करते हुए छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ ही उनके द्वारा समग्र शिक्षा का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के समकक्ष घोषित किया गया है। वहीं आईएएस अधिकारी अवनीश कुमार शरण (भा.प्र.से. 2009), आयुक्त, नगर एवं ग्राम निवेश तथा अतिरिक्त प्रभार आयुक्त, गृह निर्माण मंडल को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा आईएएस अधिकारी आकाश छिकारा (भा.प्र.से. 2017), संयुक्त सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण को आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला बस्तर के पद पर पदस्थ किया गया है।

लश्कर आतंकी मोहम्मद आरिफ की फांसी पर फिर होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दी सहमति

नई दिल्ली, 22 जनवरी (न्यूज चैनल)। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2000 में हुए ऐतिहासिक लाल किला हमले के दोषी और मौत की सजा पाए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की उपचारात्मक याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है। बृहस्पतिवार को अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए आरिफ के पास उपलब्ध अंतिम कानूनी विकल्प पर विचार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मध्यप्रदेश भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

बसंत पंचमी पर हिंदू करेंगे पूजा, मुस्लिम पढ़ेंगे नमाज

नई दिल्ली, 22 जनवरी (न्यूज चैनल)। मध्यप्रदेश के धार जिले में स्थित 11वीं सदी का स्मारक %भोजशाला% एक बार फिर चर्चा में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ृस्ढ्ढ) द्वारा किए गए वैज्ञानिक सर्वेक्षणों और अदालती कार्यवाहियों ने इस ऐतिहासिक स्थल से जुड़े विवाद को देश के सबसे चर्चित धार्मिक विवादों में से एक बना दिया है सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के धार में विवादित भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर में हिंदुओं और मुसलमानों को प्रार्थना करने की इजाज़त दे दी है।

हिंदू समुदाय के सदस्यों को हिंदू त्योहार बसंत पंचमी पर, जो इस साल शुक्रवार को पड़ रहा है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा करने की इजाज़त दी गई है, जबकि मुसलमान दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक अपनी शुक्रवार की नमाज़ पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नमाज़ के लिए आने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या ज़िला प्रशासन को बतानी होगी। कोर्ट ने ज़िला प्रशासन को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के इंतज़ाम करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट हिंदू संगठन, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें बसंत पंचमी पर हिंदुओं को पूजा करने का विशेष अधिकार देने की मांग की गई थी। एचएफजे की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने 2 जनवरी को यह अर्जी दाखिल की थी और इसे कोर्ट के सामने अर्जेंट तौर पर पेश किया गया था। अर्जी में कहा गया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ृस्ढ्ढ) के 2003 के आदेश में ऐसी स्थितियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जब बसंत पंचमी शुक्रवार की नमाज़ के दिन पड़ती है। उन्होंने 23 जनवरी को पूरे दिन हिंदुओं के लिए खास, बिना किसी रुकावट के पूजा के अधिकार की मांग की।

2003 के एएसआई के आदेश के अनुसार, मुसलमानों को उस जगह पर दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच शुक्रवार की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, जबकि हिंदुओं को बसंत पंचमी पर पारंपरिक पूजा करने की इजाज़त है और हर मंगलवार को उन्हें खास एक्सेस दिया जाता है। हालांकि, इसमें उन सालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं बताई गई है जब बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है। भोजशाला का मामला अयोध्या के राम मंदिर और वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद की तरह ही धार्मिक संवेदनशीलता से जुड़ा है। हिंदू पक्ष की मांग है कि उन्हें यहाँ प्रतिदिन पूजा का अधिकार मिले और सरस्वती प्रतिमा (जो वर्तमान में लंदन के संग्रहालय में है) को वापस लाया जाए। दूसरी ओर, मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस स्थल की यथास्थिति नहीं बदली जा सकती।

CMYK